

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई/चि.अ./एन-1221/2024/
दिनांक :

—आदेश—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दूदू ने पत्रांक 1383 दिनांक 27.12.2024 द्वारा की गयी अभिशंभानुसार डॉ० नेमी चन्द चौधरी, चि.अ., सीएचसी बोराज, को कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजमाबाद की आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियों सामान्य वित्त एवं लेखा नियम-3 क के अंतर्गत अस्थाई तौर पर अग्रिम आदेशों तक प्रदान की जाती है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ई/चि.अ./एन-1221/2024/60

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 03/02/2025

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दूदू को उनके पत्रांक 1383 दिनांक 27.12.2024 के क्रम में।
4. संबंधित कोषाधिकारी/उप कोष कार्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड वास्ते।
6. डॉ० नेमी चन्द चौधरी, चि.अ., द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date :01-01-2025 12:24:01